न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

तेजाराम व अन्य

बनाम

चम्पा इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री राकेश गौड़, अधिवक्ता अपीलांट संख्या एक
2. श्री किसनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट संख्या दो
3. श्री शैतानराम, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 03
4. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 02 व 04
5. श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्ट रआऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2025 अनवान तेजाराम व अन्य बनाम चम्पा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 मार्च 2025 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 मार्च 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया किवादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से चार की संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी की भूमि है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा मगाराम पुत्र लिखमाराम से खरीद के वक्त अपना सहदाय हिस्सा भी सम्मिलित किया था, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 जो कि अपीलांट के भाई है, ने उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से गलत तरीके से दर्ज करवा दी है, जबकि मौके पर आज दिन भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 नेवादग्रस्त आराजी आगे कंपनी को लीज पर दे दी तथा वादग्रस्त आराजी के सभी अधिकार कंपनी

को दे दिये गये। रेस्पोडेंट्सभूमि की किस्म परिवर्तन करने एवं मौके पर निर्माण कार्य कर अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 मार्च 2025 को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सहदायगी की संपति न होकर रेस्पोडेंट्स के पिता एवं माता की खरीदसुदा भूमि है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी सहदायगी की भूमि होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेंट्स के पिता जेठाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने चारों पुत्रों को समान हिस्सा दिया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1189 रकबा 9.3078 हैक्टेयर यानि रकबा 57.10 बीघा ग्राम गोसाई जी का धोरा में सें क्रमश 28.10 बीघा-28.10 बीघा अपनी पुत्र वधुओं/रेस्पो. संख्या एक व दो के नाम बेचान की है तथा खसरा नंबर 761 रकबा 10.3399 हैक्टेयर ग्राम केशव नगर में सें 28 बीघा भूमि अपीलार्थी की पत्नी चम्पा को जरिये बख्शीशनामा के हस्तांतरित की गई है। खसरा नंबर 302 बीघा में सें 5843/62082 वा हिस्सा की भूमि रकबा 36 बीघा जेठाराम द्वारा अपने तीनों पुत्रों तेजाराम, उम्मेदाराम व गोमाराम को बराबर-बराबर रजिस्ट्री करवायी है। खातेदार जेठाराम के खाते में वर्तमान में खसरा नंबर 180/1, 204, 231/1, 231/2 कुल रकबा 18 बीघा तथा खसरा नंबर 761 में 36 बीघा भूमि शेष है जो उसके पुत्र/अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या तीन व चार के भाई अनोपाराम के लिए सुरक्षित है। अपीलांट द्वारा बिना किसी तथ्य के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अपनी सहदायगी की भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय के

समक्ष अपीलांट द्वारा अपना केस साबित नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसकी सहदायगी की संपति है जो अपीलांट एवं उनके भाईयों द्वारा अपनी संयुक्त आय से खरीद कर अपनी माता मोहनी देवी एवं पिता जेठाराम के नाम दर्ज करवायी है। अपीलांट्स द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे उनके कथन पुष्ट हो सके। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पिता जेठाराम द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खातेदार जेठाराम एवं उसके भाई मगाराम की खरीदसुदा भूमि रही है जो जेठाराम एवं मगाराम द्वारा अपीलार्थीगण की माता मोहनी देवी को दिनांक 13.08.2007 को बेचान किया जाना प्रकट होता है। खातेदारी मोहनी द्वारा अपनी खरीद सुदा भूमि अपनी पुत्रवधुओं रेस्पोडेंट संख्या एक व दो को बेचान किया जाना प्रकट होता है। उक्त सभी तथ्यों से साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि नहीं है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक व दो वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है, जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी लीज पर दिया जाना प्रकट होता है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार/लीजधारी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में न होकर रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की

	राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 मार्च 2025 यथावत रखा जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	